मनोहर बलवानी
कम्पनी सचिव
MANOHAR BALWANI
Company Secretary

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सं:1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 13 दिसंबर, 2018

प्रबंधक - निगरानी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई),
एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (ई),
मुंबई - 400051

विषय: "अधिग्रहण के बाद आरईसी के अल्प शेयरधारकों को पीएफसी द्वारा खुला प्रस्ताव न करना" विषय पर दिनांक 9 दिसंबर, 2018 की मीडिया रिपोर्ट संबंधी स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

यह "अधिग्रहण के बाद आरईसी के अल्प शेयरधारकों को पीएफसी द्वारा खुला प्रस्ताव न करना" विषय पर दिनांक 9 दिसंबर, 2018 की मीडिया रिपोर्ट संबंधी स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए दिनांक 12 दिसंबर, 2018 की आपकी ई-मेल के संदर्भ में है।

इस संबंध में, आपको अवगत कराया जाता है कि दिनांक 11.12.2018 की फाइलिंग द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया था कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 11 दिसंबर, 2018 के कार्यालय-ज्ञापन का नोट लिया गया, जिसके साथ दिनांक 06 दिसंबर, 2018 की पीआईबी विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न की गई है। यह विज्ञप्ति कैबिनेट के निर्णय के संबंध में है, जिसके द्वारा प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी लिमिटेड) की कुल प्रदत्त इक्विटी में भारत सरकार की मौजूदा 52.63% शेयरधारिता की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रणनीतिक बिक्री के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया गया है।

संदर्भित प्रेस रिपोर्ट के विषय में, पीएफसी द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

यह बताना आवश्यक है कि पीएफसी द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 का सख्ती से अनुपालन किए जाने का प्रयास किया जाता है तथा स्टॉक एक्सचेंजों को सभी मूल्य संवेदी जानकारी का बिना किसी चूक/देरी/अंतर के समय पर प्रकटन किया जाता है।

हमारा स्पष्टीकरण रिकॉर्ड हेतु भेजा जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com